फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

खीमसिंह वगैराह बनाम आम्बसिंह वगैराह

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 138/22 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
04/04/2022	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री महावीर जीनगर द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा गिड़ा पटवार मण्डल गिड़ा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 320 रकबा 16.8996 हैक्टर आई हुई है। प्रार्थीगण वकील के कथनानुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में विप्रार्थीगण सख्या 1 से 15 दखलअन्दाजी कारित करने कब्जे से बेदखल करने पर आमदा है तथा विवादित भुमि का हस्तान्तरण बेचान इत्यादि करने पर उतारू है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 को आगामी पेशी तारीख 04/05/2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा गिड़ा पटवार हल्का गिड़ा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 320 रकबा क्रमशः 16.8996 हैक्टैयर मे पटवार हल्का गिड़ा तहसील गिड़ा की भूमि में विप्रार्थीगण सख्या 1.से 15 किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि मे किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे व न ही प्रार्थीनी के काश्त मे कोई बाधा पैदा नही करे न ही मौका रदोबदल करे। वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थी सख्या 1 से 15 पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 04/05/2022 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

04/05/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलेवरी रसीदें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक-04/04/2022 को तादफैसला वाद कन्फर्म किया जाकर विपक्षीगणों को पाबन्द किया जावे की विपक्षीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में कोई किसी प्रकार का दखल नहीं करें तथा न ही कोई किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करें, व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अतः प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनने व पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक-04/04/2022 को तादफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, मूल वाद के संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु